फॉर्म सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

धनेश्वर रजक पिता स्व0 रामेश्वर रजक, ग्राम-अमनारी, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-केरुरा, थाना नं0-182, खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-949 एवं 871, रकवा क्रमशः 0.0528 एकड़ एवं 0.1137 एकड़ कुल रकवा 0.1665 एकड़ (16.65 डिसमिल) (सोलह दशमलव छः पाँच डिसमिल) भूमि ज्योति कुमारी पिता मुरलीधर राम दादा स्व0 किशुन राम पति सुनील कुमार रवि के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-776/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 5074/रा0 दिनांक 18.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

इसी बीच आवेदक धनेश्वर रजक द्वारा आवेदन-पत्र समर्पित कर सूचित किया गया है कि आवेदन की विवरणी पूर्ण नहीं रहने के कारण इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आवेदक के अनुरोध के आलोक में परमिशन वाद संख्या 776/2022 को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.30 17:01:11 +05:30
Location: 192.168.5.186